

क्र० सं०	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-1, अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। (संलग्न-1)
2	सी०एन०जी०/पी०एन०जी०पाइपलाइन/मार्गो/सड़को/वर्तमान अधिकाधिरता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे पर ही बिछायी जायेगी।	शर्त संख्या-2, अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि भूमिगत गैस पाइप लाइन/मार्गो/सड़कों वर्तमान अधिकाधिरता में प्रयुक्त रास्तों के किनारे-किनारे पर ही बिछायी जायेगी। (संलग्न-2)
3	सी०एन०जी०/पी०एन०जी०पाइपलाइन हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की साइज 2.00 गहराई तथा 1.00 चौड़ाई मी० से अधिक नहीं होगी।	शर्त संख्या-3, अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच की साइज 2.00 गहराई तथा 1.00 चौड़ाई मी० से अधिक नहीं होगी। (संलग्न-3)
4	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या-4, अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। (संलग्न-4)
5	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	शर्त संख्या-5, अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। (संलग्न-5)
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनो एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या-6, अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनो एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। (संलग्न-6)
7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शर्त संख्या-7, अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी। (संलग्न-7)
8	भूमि का सरफेस राइट्स (Surface right) नहीं दिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत बना रहेगा।	शर्त संख्या-8, अनुपालन में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि भूमि का सरफेस राइट्स (Surface right) नहीं लिया जायेगा एवं वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भाँति यथावत बना रहेगा। (संलग्न-8)
9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा० उत्तम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०बी० क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management and Planing Authority) में	शर्त संख्या-9, अनुपालन में Online, forest clearance.nic.in ij e-payment portal माध्यम से हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई०ए० संख्या-566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन०पी०बी० (0.704 हे०) रु० 674277.00 (छः लाख चौहत्तर हजार दौं सो सत्तर मात्र) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कैम्पा, खाता सं०-1509072118863939 आई०एफ०सी० कोड-UBIN0996335 यूनिनयन बैंक ऑफ इण्डिया, लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च, ब्लाक-11 सी०जी०ओ० काम्पलेक्स, फेस-1, लोधी रोड, नई दिल्ली के पक्ष में प्रेषित कर दी गयी है, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्न-9)

	वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	शर्त संख्या-10, अनुपालन में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्न-10)
11	प्रयोक्ता एजेन्सी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त संख्या-11, अनुपालन में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है। (संलग्न-10)
12	भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007 एफसी (पीटी) दिनांक 19-08-2010 तथा पत्र संख्या J-11013/41/2006-1A-II (I) दिनांक 02 दिसम्बर, 2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू है तो (if applicable), कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति/अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ बाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग-अलग प्राप्त कर लिया गया है।	परियोजना में लागू नहीं है।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दाबा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं।	शर्त संख्या-13, अनुपालन में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि वन अधिकारी अधिनियम 2006 के अन्तर्गत सम्बन्धित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दाबा लम्बित नहीं है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्न-13)
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के 11-9/98 एफसी दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित किये हुए भू-सन्दर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष द्वारा (Shp) फाइल में दर्शाया गया।	शर्त संख्या-14, अनुपालन में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के 11-9/98 एफसी दिनांक 08-07-2011 में दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित किये हुए भू-सन्दर्भित डिजिटल डाटा/मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष द्वारा (Shp) फाइल में दर्शाया गया है, उसे प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। (संलग्न-14)
15	यदि प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है, तो मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है।	शर्त संख्या-15, प्रश्नगत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है अतः मा0 उच्चतम न्यायालय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
16	समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।	शर्त संख्या-16, अनुपालन में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि समस्त

		वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। (संलग्न-16)
17	परियोजना में 4,6,8,10 इंच डाया गैस पाइप लाइन बिछायें जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान किया जायेगा।	शर्त संख्या-17, अनुपालन में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि परियोजना में गैस पाइपलाइन बिछायें जाना प्रस्तावित है। अतएव हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन0पी0वी0 का भुगतान कर दिया गया है, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्न-17)
18	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07-01-2011(प्रति संलग्न) में अंकित 02 विन्दुओं में प्रस्तावित गैस पाइप लाइन से आच्छादित विन्दु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा जो इस प्रकार है -	
	1- सी0एन0जी0/गैस पाइप लाइन बिछाने वाली ऐसी कम्पियां जो लगातार गैस पाइप लाइन बिछाती है तथा उसका क्षेत्र केवल एक शहर न होकर अंतःशहरीय शह से ग्रामीण अंतःजिला तथा एक प्रदेश से दूसरा प्रदेश होता है उस कम्पनी से पूर्व की भौति प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने की शर्त यथावत लागू रहेगी।	शर्त सं0 18 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचनबद्धता दी है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो0 लि0 बरेली द्वारा उ0प्र0 शासन पत्र सी0जी0आई0 196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02-7-2010 एवं शासनादेश सं0 07-01-2011 के अनुपालन में जनपद बदायूं में किसी भी स्थान पर कुल 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण करायेजाने हेतु रू0 15730000/- प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं में जमा करा दिये गये हैं। प्रति संलग्न है।
19	प्रश्नगत प्रस्ताव में वृक्ष पातन निहित नहीं है। अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी संज्ञान लेते हुये समय समय पर मॉनिटरिंग सुनिश्चित किया जायेगा।	मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जायेगा।
20	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केंद्र सरकार/राज्य सरकार/मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या-20 अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केंद्र सरकार/राज्य सरकार/ मा0 न्यायलयों द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विभाग द्वारा किया जायेगा। (संलग्न-18)
3	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि सैद्धान्तिक स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि प्रयोक्ता एजेन्सी के पास गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु बैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा।	शर्त संख्या-20, अनुपालन में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचत बद्धता दी जाती है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा विभाग द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु बैध व अधिकृत लाइसेंस प्राप्त है तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। प्रति संलग्न है।

(एस0एन0मौरी)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनपुरी

Proforma

1	Name of Regional office	Lucknow
2	State/ Distt/ Forest Division to which the proposal relates	Social Forestry Division Mainpuri (u.p)
3	Name of User agency, nature of proposal	Hindustan Petroleum Corporation Limited. Bareilly Permission for laying of Gas pipeline along the Shikohabad - Bhogaon Road SH- 84 Ch. 49 to 61.80 in Distt- Mainpuri (U.P.)
4	Extent of forest area involved	0.704 Hect.
5	Whether original, or extension	Original.
6	If extension of Lease, pl clarify, if proposal involves additional forest area, and if so, specify	Not applicable.
7	Date of 1st stage clearance	05-08-2021
8	Extent of camp charges, head wise viz	
	a Compensatory Afforestation	Rs. 0
	b Additional CA	Rs. Nil
	c Penal CA	Nil
	d Catchment area Treatment	Nil
	e Wildlife management plan	Nil
	f Additional charges for diversion of area falling under notified/ protected areas	Nil
	g Net present Value	Rs. 674277.00
	h any other charges/ Levies (pl specify)	Nil
9	Details of Bank drafts (Bank, draft No. Date & Amount), head-wise against items indicated in paragraphs 8 above	Nil
10	Whether deposited by RTGS/NEFT, if so, the particulars & date of remittance	Bank Transaction / UTR no. SBIN522257693469 dt 14-09-2022 1- C.A.- Rs- 0 2- N.P.V. Rs- 674277.00 Rs- 674277.00
11	Bank [Corporation Bank, Lodhi Complex/ union bank of india, Sunder nagar] in which deposited, with date of depositon	Corporation Bank Dt. of depositon 14-09-2022
12	Any other remarks	-


 Divisional Director
 Social Forestry Division,
 Mainpuri
 सामाजिक वन्यजीव विभाग
 मेनपुरी

Govt. of Uttar Pradesh
Office of District Collector
Mainpuri (UP)

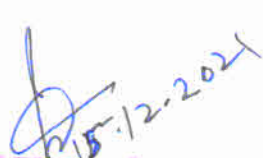
Ref. No. 703

Date: 06.09.2022

To whomsoever it may concern

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest (Moef), Government of India letter NO. 11-9/98-FC(pt) dated 28-10-2014, It is certified that- an area of **0.704** ha. Forest land is proposed to be diverted in favour of **HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION Ltd.** Barailly (name of user Agency) for laying of Gas pipeline along Shikohabad - Bhogaon road cha. 49.00 to 61.80 R.H.S. (proposed for diversion of Forest land) in **Mainpuri** district falls within the jurisdiction of village name **Rui Sinora, Mohabbatpur, Merapur Surjanpur, Siwai Bhadora, Uddatpur Nareni, Lalupur, Mudauli, Mohanpur** in **Bhogaon Tehsil & Gariya, Sansarpur** in **Mainpuri Tehsil**.

It is further certified that the proposal does not involve Recognized Right of Primitive Tribal Groups and Pre Agriculture Communities and the 'Forest land' Proposed to be diverted is a plantation which was notified as 'Forest' less than 75 years prior to 13th December 2005 and is located in village **Rui Sinora, Mohabbatpur, Merapur Surjanpur, Siwai Bhadora, Uddatpur Nareni, Lalupur, Mudauli, Mohanpur, Gariya, Sansarpur** having no recorded population of Scheduled Tribes as per the census of 2001 and 2011.


विद्या उमाश कल्याण अधिकारी
मैनपुरी


प्रमाणित निदेशक
सामाजिक दानिकी प्रभाग
मैनपुरी


(Avinash Krishna Singh)
District Magistrate
Mainpuri (UP)



प्रारूप

CA amount as per proposal	-
CA amount deposited	-
Difference in amount	0.00
Reason for difference	-
NPV amount as per proposal	674277.00
NPV amount deposited	674277.00
Difference in amount	-
Reason for difference	-
Any other amount deposited- (Dwarf medicinal plant)	-
Penal NPV	-
CAMPS confirmation	-


 प्रभागीय निदेशक
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग, मैनुपुरी
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मैनुपुरी

आख्या व प्रमाण- पत्रों की 05-05 प्रतियाँ मूल में संस्तुत सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि कृपया तदनुसार अपने स्तर से उच्च स्तर को प्रेषित करने का कष्ट करे।

क्र०	अनुपालन आख्या	अनुपालन आख्या का निस्तारण
1	सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा।	शर्त संख्या-1, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा। (संलग्नक-1)
2	भूमिगत गैस पाइप लाइन / मार्गों / सड़कों वर्तमान अधिकाधिकरता में प्रयुक्त रास्तों के किनारो- किनारो पर ही बिछायी जायेगी।	शर्त संख्या-2, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि भूमिगत गैस पाइप लाइन / मार्गों / सड़कों वर्तमान अधिकाधिकरता में प्रयुक्त रास्तों के किनारो- किनारो पर ही बिछायी जायेगी। (संलग्नक-2)
3	गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच कि साइज 2.00 गहराई तथा 1.00 चौड़ाई मी० से अधिक नहीं होगी।	शर्त संख्या-3, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच कि साइज 2.00 गहराई तथा 1.00 चौड़ाई मी० से अधिक नहीं होगी। (संलग्नक-3)
4	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।	शर्त संख्या-4, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खोदी गयी ट्रेंच को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट किया जायेगा जिससे कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो। (संलग्नक-4)
5	प्रस्तावक एजेंसी द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।	शर्त संख्या-5, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी। (संलग्नक-5)
6	वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनो एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में प्रस्तावक विभाग द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी।	शर्त संख्या-6, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व वनो एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा लिखित सहमति दी जायेगी। (संलग्नक-6)

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० एन० शीर्य)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबन्धक-परियोजना
Chief Manager-Projects

7	प्रस्तावक विभाग द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।	शर्त संख्या-7, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी। (संलग्नक-7)
8	भूमि का सरफेस राइट्स(Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा।	शर्त संख्या-8, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा भूमि का सरफेस राइट्स(Surface right) नहीं दिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा। (संलग्नक-8)

9	प्रस्तावक विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0 ए0 संख्या- 566 एवं एवं भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007-एफ0 सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0 पी0 बी0, क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं अन्य अनुमन्य देयक प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण (Compensatory Afforestation Fund Management And Planing Authority) मे वन विभाग के माध्यम से जमा की जायेगी।	शर्त संख्या-09, अनुपालन में Online, forest clearance.nic.in ij e-payment portal माध्यम से हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0 ए0 संख्या- 566 एवं एवं भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007-एफ0 सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0 पी0 बी0, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा कैम्पा, खाता सं0 - 1509072118863939 आई0 एफ0 सी0 कोड-UBIN0996335 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च, ब्लाक -11 सी0 जी0 ओ0 काम्पलेक्स, फेस-1, लोधी रोड, नई दिल्ली के पक्ष मे प्रेषित कर दी गयी हैं, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-9)
10	प्रस्तावक विभाग को कार्य से पूर्व भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।	शर्त संख्या-10, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना लिया गया हैं, उसकी प्रति संलग्न हैं। (संलग्नक-10)
11	प्रयोक्ता एजेंसी के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हो।	शर्त संख्या-11, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन

प्रति हस्ताक्षरित
(एस0 एन0 सी0)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी



अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

		लिमिटेड के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हैं तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हैं । (संलग्नक-11)
12	भारत सरकार के पत्र संख्या- 5 -3 /2007 एफसी (पीटी) दिनांक 19 -8 -2010 तथा पत्र संख्या -J -11013 /41 /2006 -IA -II (1) दिनांक 02 दिसंबर,2009 के अनुसार प्रस्तावक विभाग को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि उन्होंने यदि लागू है तो (if applicable),कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व सक्षम स्तर से पर्यावरणीय अनापत्ति /अनुमोदन तथा वन्य जीव की दृष्टि से स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से अनुमोदन अलग अलग प्राप्त कर लिया गया है।	परियोजना में लागू नहीं है ।
13	प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकारी अधिनियम-2006 के अंतर्गत सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लंबित नहीं है एवं आदिम जनजाति/ प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित नहीं होते हैं।	शर्त संख्या-13, अनुपालन अनुपालन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि वन अधिकार अधिनियम-2006 के अंतर्गत सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण- पत्र संलग्न कर दिया गया हैं। प्रस्तावित वन भूमि में कोई भी दावा लंबित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति / प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं , उसकी प्रति संलग्न हैं। (संलग्नक-12)
14	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के 11 -9 / 98- एफसी,दिनांक 08/07/2011 में दिये गये दिशा- निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित किये हुए भू -सन्दर्भित डिजिटल डाटा/ मानचित्र प्रस्तुत करें, जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा(Shp) फाइल में दर्शाया गया।	शर्त संख्या-14, अनुपालन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि मैं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के 11 -9 /98- एफसी,दिनांक 08 /07/2011 में दिए गए दिशा- निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित किये हुए भू -सन्दर्भित डिजिटल डाटा/ मानचित्र प्रस्तुत किया गया है , जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा(Shp) फाइल में दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव में संलग्न कर दिया गया है। (संलग्नक-13)
15	यदि प्रश्रुत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित है तो मा० उच्चतम न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की कार्यवाही कर ली गयी है ।	शर्त संख्या-15, प्रश्रुत भूमि सेन्चुरी/नेशनल पार्क में सम्मिलित नहीं है तो मा० उच्चतम न्यायलय से अलग से अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है ।

प्रति हस्ताक्षरित
(एस० एन० सौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी



अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबन्धक-परियोजना
Chief Manager-Projects

16	समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।	शर्त संख्या-16, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि समस्त वैधानिक/प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा। (संलग्नक-14)
17	परियोजना में गैस पाइपलाइन बिछाये जाना प्रस्तावित है। अतएव प्रस्तावक द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन०पी०वी० का भुगतान किया जायेगा।	शर्त संख्या-17, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि प्रस्तावित परियोजना में गैस पाइपलाइन बिछाये जाना प्रस्तावित है। अतएव हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा वन विभाग के पक्ष में एन०पी०वी० का भुगतान कर दिया गया है, उसकी प्रति संलग्न हैं। (संलग्नक-15)
18	राज्य सरकार के शासनादेश दिनांक 07.01.2011 (प्रति संलग्न) में अंकित 02 बिंदुओं में गैस पाइपलाइन से आच्छादित बिंदु का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या-20, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा उ० प्र० शासन पत्र सी० जी० आइ०- 196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010 एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2011 के अनुपालन में जनपद बदायूं में किसी भी स्थान पर कुल 20 किमी० तीन लाइनो में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु 15730000/- रु० प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं में जमा करा दिये गये हैं, उसकी प्रति संलग्न है। (संलग्नक-16)
19	प्रश्नगत अनुमति मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ० प्र० लखनऊ की रिपोर्ट / संस्तुति के आधार पर निर्गत की जा रही है भविष्य में प्रकरण में किसी बिंदु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे।	अपेक्षित नहीं है।
20	उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केंद्र सरकार /राज्य सरकार /मा० न्यायलयों द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।	शर्त संख्या-18, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की बचन बद्धता दी जाती है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केंद्र सरकार /राज्य सरकार /मा० न्यायलयों द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा। (संलग्नक-17)

प्रति इस्ताक्षरित
(एस० एन० मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी



अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबन्धक-परियोजना
Chief Manager-Projects

3-	यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रयोक्ता एजेंसी के पास गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेंस हो तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त हो। उक्त शर्तों के अनुपालन के पश्चात् ही विधिवत स्वीकृति प्रदान किया जायेगा।	शर्त संख्या-20, अनुपालन में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इस आशय की वचन दी जाती है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेंस प्राप्त है तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है। (संलग्नक-18)
CA amount as Proposal		-
CA amount deposited		-
Difference in amount		-
Reason of difference		-
NPV amount as per Proposal		Rs 674277.00
NPV amount deposited		Rs 674277.00
Difference in amount		-
Reason of difference		-
Any other amount		-
CAMPA information		Yes, Paid (जमा चालन की प्रति संलग्न हैं)

भवदीय

प्रति हस्ताक्षरित
(एस.एन. मौर्य)
प्रशासीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी


(अविनाश कुमार)
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Project Manager-Projects

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि सम्बंधित वन क्षेत्र में किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जायेगा ।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० एच० 84)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि भूमिगत गैस पाइप लाइन / मार्गों / सडकों वर्तमान अधिकाधिरता में प्रयुक्त रास्तों के किनारो- किनारो पर ही बिछायी जायेगी।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

प्रति प्रस्तावित
(एस० एच० 84)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी



वचनबद्धताप्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर बानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि गैस पाइप लाइन बिछाने हेतु खोदे जानी वाली ट्रेंच कि साइज 2.00 गहराई तथा 1.00 चौड़ाई मी0 से अधिक नहीं होगी।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार

AVINASH KUMAR

मुख्य प्रबंधक-परियोजना

Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित
(एस0 एच0 84 मीर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक बानिकी प्रभाग
मैनपुरी

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा खोदी गयी ट्रेन्च को इस तरह से भरकर कम्पैक्ट करना होगा कि भू-क्षरण की सम्भावना न हो।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार

AVINASH KUMAR

मुख्य प्रबंधक-परियोजना

Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० एच० ८४ मौरा)

प्रयोगीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी



वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पट्टरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थानीय नियमों के अधीन वन विभाग से अनुमति प्राप्त की जायेगी।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

प्रति हस्ताक्षरित
(एस० एन० मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है वन भूमि के उपयोग के बाद उसका मूल स्वरूप पुनः लाने व बनो एवं पर्यावरण में होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के बारे में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा लिखित सहमति ली जायेगी।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार

AVINASH KUMAR

मुख्य प्रबंधक-परियोजना

Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० एन० गौरव)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा अनुरक्षण का कार्य सम्पादन से पूर्व वन विभाग की पूर्व अनुमति ली जायेगी।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार

AVINASH KUMAR

मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० एन० मौर्य)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी



वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा भूमि का सरफेस राइट्स(Surface right) नहीं लिया जायेगा एवम वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात भूमि का स्वामित्व पूर्व की भांति यथावत बना रहेगा ।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार

AVINASH KUMAR

मुख्य प्रबंधक-परियोजना

Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० एन० मौर्य)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी



वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अंतर्गत आई0 ए0 संख्या- 566 एवं एवं भारत सरकार के पत्र संख्या- 5-3/2007-एफ0 सी0 दिनांक 05-02-2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0 पी0 बी0, उ0 प्र0 एन0 ई0 फ0 टी0 के द्वारा कैम्पा, खाता सं0 - 1509072120198075 आई0 एफ0 सी0 कोड- UTIB0903710 यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, लोधी काम्पलेक्स ब्रान्च, ब्लाक -11 सी0 जी0 ओ0 काम्पलेक्स, फेस-1, लोधी रोड, नई दिल्ली के पक्ष में प्रेषित कर दी गयी हैं, उसकी प्रति संलग्न है।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार

AVINASH KUMAR

मुख्य प्रबंधक-परियोजना

Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० एन० मौर्य)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी

Bhargava Piyush (भार्गव पियुष)

From: Bhargava Piyush (भार्गव पियुष)
Sent: 07 November 2022 16:29
To: harendra.sharma@tractebel.engie.com
Subject: FW: Payment to O/O DFO , Mainpuri vide CAMPA fund for Gas Pipeline laying proposal

From: Kumar Vijay (विजय कुमार) <Vijay.Kumar3@hpcl.in>
Sent: 22 September 2022 11:42
To: Sandeep Kumar (संदीप कुमार) <sandeepk@hpcl.in>
Cc: Anil Kumar (अनिल कुमार) <anilkumar@hpcl.in>; Avinash Kumar (अविनाश कुमार) <avinashkumar@hpcl.in>; P Anand Victor (पी आनन्द विक्टर) <pavictor@hpcl.in>; Bhargava Piyush (भार्गव पियुष) <Piyush.Bhargava@hpcl.in>
Subject: RE: Payment to O/O DFO , Mainpuri vide CAMPA fund for Gas Pipeline laying proposal

Dear Sandeep Bhai,

Payment for the below line already processed on 14/09/2022.. UTR No. is given below

TO TRANSFER			
14-Sep-22 (14-Sep-2022)	UTTAR PRADESH CAMPA	TRANSFER TO 99506044303 /UTTAR PRADESH CAMPA	125 6,74,277.00
	NEFT UTR NO. SBIN522257693469 -TRANSFER TO 99506044303		

Regards
Vijay

From: Sandeep Kumar (संदीप कुमार) <sandeepk@hpcl.in>
Sent: 22 September 2022 11:11
To: Kumar Vijay (विजय कुमार) <Vijay.Kumar3@hpcl.in>
Cc: Anil Kumar (अनिल कुमार) <anilkumar@hpcl.in>; Avinash Kumar (अविनाश कुमार) <avinashkumar@hpcl.in>; P Anand Victor (पी आनन्द विक्टर) <pavictor@hpcl.in>; Bhargava Piyush (भार्गव पियुष) <Piyush.Bhargava@hpcl.in>
Subject: RE: Payment to O/O DFO , Mainpuri vide CAMPA fund for Gas Pipeline laying proposal

Pls process, new corrected BTS has been approved.

OIPMS No	Document Number	Doc Type	Doc Co	G/L Date	Invoice Date	Address Number	Payee Number	Due Date
53460171	22000125	ZA	16150	19/09/2022	27/07/2022	24029688	24029688	19/09/2022

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० एन० मौर्य)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी

From: Bhargava Piyush (भार्गव पियुष) <Piyush.Bhargava@hpcl.in>
Sent: 19 September 2022 13:07

To: Sandeep Kumar (संदीप कुमार) <sandeepk@hpcl.in>

Cc: Anil Kumar (अनिल कुमार) <anilkumar@hpcl.in>; Avinash Kumar (अविनाश कुमार) <avinashkumar@hpcl.in>; P

Online payment history made by User Agency under CAMPA

Help

Sno.	Proposal Detail	Application No	Application No (New)	Date of IN-Amount to be PRINCIPLE Paid / Amount Paid (In Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UP/Pipeline/118863/2021 (../viewreport.aspx?pid=FP/UP/Pipeline/118863/2021) Permission for laying of Gas Pipeline along the Shikohabad-Bhogaon Road SH-84 CH, 49.00 to 61.80 in Distt Mainpuri	PIPELINE1188632021939	72118863939	05 Aug 2021	PAID	Fund Demand Verified by : 30 Aug 2022 Nodal Officer On Bank Name : Union Bank Of India Mode of Payment : NEFT/RTGS (Challan) Challan Generated On : 31 Aug 2022 Transaction Date : 14 Sep 2022	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/290820221708091456_FPUPPipe Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=f
				CA: 0/- PCA: 0/- Safety Zone: 0/- NPV: 674277/- Other Charges: 10/- Other Charges: 20/- Other Charges: 30/- Total : 674277/-			



BHARAT

(HTTPS://SWACHHBHARAT.MYGOV.IN/)



Power To Empower

(WWW.DIGITALINDIA.GOV.IN)

(HTTPS://DATA.GOV.IN/)



(HTTPS://INDIA.GOV.IN/)



(HTTPS://WWW.MYGOV.IN/)

(HTTP://MEITY.GOV.IN/)



(HTTP://WWW.PMINDIA.GOV.IN/EN/)



(HTTP://WWW.NIC.IN/)



MeitY

Content Owned, Updated and Maintained by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India
 Terms & Conditions (TermsandConditions.aspx) | Privacy Policy (Privacypolicy.aspx) | Copyright Policy (CopyrightPolicy.aspx) | Hyperlinking Policy (HyperlinkingPolicy.aspx) |
 Accessibility Statement (Accessiblitystatement.aspx) | Disclaimer (Disclaimer.aspx) | Contact Us (contact.aspx)

For any Technical support, Please Contact EFCCID, NIC, New Delhi, monitoring-fc(at)nic(dot)in

अविनाश कुमार
 AVINASH KUMAR
 मुख्य प्रबन्धक-परियोजना
 Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित
 (एस० एन० सौर्य)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मैनपुरी

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है0 संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा भू-स्वामी से अनापत्ती प्रमाण पत्र प्राप्त करना लिया गया है, उसकी प्रति संलग्न हैं।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार

AVINASH KUMAR

मुख्य प्रबंधक-परियोजना

Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

(एस0 एच0 भौर्व)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., मैनपुरी

पत्रांक : 2658/सी

दिनांक 04/12/2020

सेवा में,

श्रीमान धर्मपाल गुप्ता
महाप्रबंधक- परियोजना
शहरी गैस वितरण परियोजना
यू.पी. क्लस्टर प्रथम तल,
एस.ए., 72/79
डी.डी. पुरम, बरेली-243122

विषय:- शिकोहाबाद भोगाँव मार्ग पर (एस0एच0-84) भोगाँव से ईसन नदी पुल गोल चक्कर तक नैचुरल गैस पाइप लाइन एवं ओ.एफ.सी. केबिल डालने की अनुमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक- HPCL/CGD/MAIN/25 19.08.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया ने एस.बी.आई. की बैंक गारन्टी सं.-0012520BG0000034 को दिनांक 04.08.2020 को रु. 1.00 लाख (रु. एक लाख मात्र) जिसकी वैधता दिनांक 30.09.2022 तक है। एवं एफ0डी0आर0 जमा किया गया है जिसकी धनराशि (रु. 11527600.00) सिविलीटी, विभाग के पास जमा रहेगी। अतः मुख्य सचिव उ.प्र. शासन के शा.सं.-760/नौ-2018-101ज/17 दिनांक 30.05.2018 के अनुपालन में मार्ग के मध्य भाग से बांयी ओर 12.50 मी. छोड़कर मार्ग के कच्चे भाग में मिट्टी खोदकर नैचुरल गैस पाइप लाइन एवं ओ.एफ.सी. केबिल (ऑप्टिकल फाईबर) बिछाने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

1. रोड कटिंग करते समय आवश्यक चेतावनी/बोर्ड/बैरिकेट्स व रात्रि में प्रकाश की उचित व्यवस्था की जाए। कार्य करते समय यदि कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए आप पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे।
2. कार्य करने के दौरान यातायात में बाधा उत्पन्न न की जाये।
3. भूमिगत नैचुरल गैस पाइप लाइन एवं ओ.एफ.सी. केबिल बिछाते समय अन्य भूमिगत सेवाओं को क्षति पहुँचने की स्थिति में उसे पूर्व की भाँति तत्काल मरम्मत कराने का दायित्व आपका होगा।
4. आबादी भाग में खोदे गये गड्ढे को चारों ओर से बैरिकेटिंग/टीन आदि लगाकर सुरक्षित किया जाये ताकि गड्ढे में कोई व्यक्ति/बच्चा अथवा जानवर आदि न गिर जाये। सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धित पूर्ण उत्तरदायित्व आवेदनकर्ता/कार्यदायी संस्था का होगा।
5. पुनर्स्थापना की गुणवत्ता कार्य पूर्ण होने के पश्चात् लो.नि.वि. की संतुष्टि और विशिष्टताओं के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
6. भविष्य में मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य में आवश्यकता होने पर आपके द्वारा गैस पाइप लाइन एवं ओ.एफ.सी. केबिल स्थानान्तरित करने की व्यवस्था आपने व्यय पर स्वयं वहन करनी पड़ेगी।
7. कार्य सम्पन्न होने के पश्चात् सम्बन्धित लो.नि.वि. के सहायक अभियन्ता/अवर अभियन्ता के माध्यम से अधोहस्तक्षरी को आवश्यक रूप से अवगत कराना होगा।
8. उपरोक्त कार्य हेतु निर्गत एन.ओ.सी. के निरस्तीकरण का पूर्ण अधिकार लोक निर्माण विभाग के पास रहेगा।
9. उपरोक्त बिन्दुओं के क्रम में यदि किसी बिन्दु का अक्षतः पालन नहीं किया जाता है तो आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी, जिसमें आपका कोई भी दावा/क्लैम मान्य नहीं होगा।

(अनिल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., मैनपुरी
दिनांक : /12/2020

पत्रांक :

प्रतिलिपि:-

1. परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई., निकट गोयल नर्सिंग होम कमलानगर, आगरा पिनकोड-282004 को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता-प्रथम, प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., मैनपुरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अवर अभियन्ता (प्राव.), प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., मैनपुरी को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो.नि.वि., मैनपुरी

प्रति हस्ताक्षरित
(एस0 एन0 मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के पास वैध व अधिकृत लाइसेंस हैं तथा उसे कार्य करने का सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त हैं।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार

AVINASH KUMAR

मुख्य प्रबंधक-परियोजना

Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० एन० सी०)

प्रभागीय निदेशक

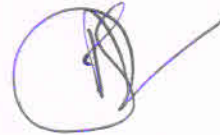
सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है वन अधिकार अधिनियम-2006 के अन्तर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण- पत्र संलग्न कर दिया गया है। प्रस्तावित वन भूमि मे कोई भी दावा लंबित नहीं हैं एवं आदिम जनजाति / प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नहीं होते हैं , उसकी प्रति संलग्न हैं।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार

AVINASH KUMAR

मुख्य प्रबंधक-परियोजना

Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० एन० मोदी)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी

वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि मैं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के 11 -9 /98- एफसी, दिनांक 08 /07/2011 मे दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी प्रमाणित किये हुए भू -सन्दर्भित डिजिटल डाटा/ मानचित्र प्रस्तुत किया गया है ,जिसमे वन सीमाओं को विशेष डाटा(Shp) फाइल मे दर्शाया गया है उसे प्रस्ताव मे संलग्न कर दिया गया है।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार

AVINASH KUMAR

मुख्य प्रबंधक-परियोजना

Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० एन० सी०)

प्रभु गोप निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी



वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि समस्त वैधानिक /प्रशानिक अनापत्ति प्राप्त करने के उपरांत ही कार्य प्रारंभ किया जायेगा।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार

AVINASH KUMAR

मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० एन० सी०)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी



वचनबद्धता प्रमाणपत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि प्रस्तावित परियोजना में गैस पाइपलाइन बिछायें जाना प्रस्तावित है। अतएव हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा वन विभाग के पक्ष मे एन०पी०वी० का भुगतान कर दिया गया है, उसकी प्रति संलग्न हैं।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

अविनाश कुमार

AVINASH KUMAR

मुख्य प्रबंधक-परियोजना

Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित

(एस० एन० मौर्य)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग

मैनपुरी

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बरेली द्वारा उ० प्र० शासन पत्र सी० जी० आइ० -196/14-2-2010-1017/10 दिनांक 02.07.2010 एवं शासनादेश दिनांक 07.01.2011 के अनुपालन में जनपद बदायूं में किसी भी स्थानपर कुल 20 किमी० तीन लाइनो में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु 15730000/- रु० को प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूं में जमा करा दिये गये हैं, उसकी प्रति संलग्न है।

भवदीय

प्रति हस्ताक्षरित
(एस० एन० मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Project Manager-Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

पत्रांक 1511 /29-1

दिनांक 31 दिसम्बर/2021

सेवा में,

उप महाप्रबन्धक परियोजना
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड
शहरी गैस वितरण परियोजना
यू0पी0 और यू0के0 क्लस्टर 112
सिविल लाइन्स बरेली।

विषय- पी0एन0जी0 गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु प्रदेश में किसी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में ।

सन्दर्भ- इस कार्यालय का पत्रांक 1036/5-1 दिनांक 23 अक्टूबर 2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि उ0प्र0 शासन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश दिनांक 7.01.2011 में दिये गये प्राविधान के अनुसार किसी भी एक स्थान पर 20 किमी0 तीन लाइनों में वृक्षारोपण कराये जाने हेतु डी0डी0 संख्या 399391 दिनांक 23.12.2021 मु0 15730000/- (मु0 एक करोड सत्तावन लाख तीस हजार रू0 मात्र) इस कार्यालय को प्राप्त हो गया है।

भवदीय,

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

पत्रांक /5-1 दिनांकित ।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सा0वा0प्रभाग शाहजहाँपुर को उनके पत्रांक 1482/14-1 दिनांक 22.10.2021 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

(अशोक कुमार सिंह)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग बदायूँ ।

प्रति हस्ताक्षरित
(एस0 एन0 जी0)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बदायूँ

Ref. No.: HPCL/CGD/BDU/DEC/01

Date: 27.12.2021

To,

Divisional Director,
Social Forestry Division,
Budaun U.P.

Sub: - Submission of DD for 20km afforestation as per Demand Note letter reference no.- 1036/5-1 Badaun
Dated: 23/10/2021 from the office of Divisional Director, Social Forestry Division, Budaun.

Sir,

With reference to above cited letter & subject of the Divisional Director, Social Forestry Division Budaun, for the permission of laying CGD network along the road in the state of Uttar Pradesh, we are submitting Demand draft made on Divisional Director, Social Forestry Division Badaun for the subject as requested. Details of DD for Social Forestry Division Budaun is as follows: -

Social Forestry Division Badaun, DD Payment details.	
DD Receipt No. (Transaction Ref. No.)	399391 ✓
Date of Issue	23/12/2021
Amount	15730000.00

Received
विश्वेश्वर
सामाजिक वानिकी प्रभाग
बदायूँ

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबन्धक-परियोजना
Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित
(एस० एन० सी०)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

Hence, original copy of DD is attached for your kind reference; kindly acknowledge the receipt of the same.

Enclosed:- As above.

Thanking You

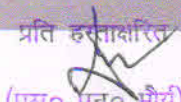
For and on behalf of Hindustan Petroleum
Corporation Limited



G.H.V Rao
DGM -Ops and Sales
SB & NB GA



अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects



(एस० एन० मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मिन्पुरी

State Bank of India
Branch: LICCHOWI MAIN BRANCH
IFSC No. SBIN00 2200114

Key: RULAP
Sr. No: 625332
D D M Y Y Y Y Y

DEMAND DRAFT

One Crore Fifty Seven Lakh Thirty Thousand Only

अंशकों में ₹ 15730000.00

OR ORDER

Key: RULAP
Sr. No: 625332

AMOUNT BELOW 15730000.00

STATE BANK OF INDIA
BRANCH: LICCHOWI MAIN BRANCH
IFSC No. SBIN00 2200114

प्रति हस्ताक्षरित
(एस. एन. एन. मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मेनपुरी

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

विशेष
कृषि वानिकी प्रभाग
मेनपुरी

399391 000002000 000492 16

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि उपरोक्त के अतिरिक्त समय-समय पर केंद्र सरकार /राज्य सरकार /मा० न्यायलयों द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जायेगा ।

भवदीय



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली

प्रति हस्ताक्षरित
(एस० एन० मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

वचनबद्धता प्रमाण पत्र

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा मैनपुरी प्रभाग के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगांव (एस0 एच0 84) भोगांव से ईसन नदी पुल तक चैनेज 49.00 से 61.80 तक के दांयी पटरी पर गैस पाइप बिछाये जाने हेतु 0.704 है० संरक्षित वन भूमि के बिना वृक्ष पातन गैर वानिकी प्रयोग के प्रस्ताव में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड वचनबद्ध है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु वैध व अधिकृत लाइसेंस प्राप्त है तथा इस कार्य के लिए उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त है।

भवदीय

प्रति हस्ताक्षरित
(एस० एन० मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी



(अविनाश कुमार)

मुख्य प्रबंधक- परियोजना

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, बरेली



पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum and Natural Gas Regulatory Board
 प्रथम-तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, बाबर रोड, नयी दिल्ली - 110001
 1st Floor, World Trade Centre, Babar Road, New Delhi - 110001

PNGRB/CGD/BID/10/2018/GA/10.43/Schedule-D

29th March 2019

To,
Hindustan Petroleum Corporation Limited
Natural Gas Department, 4th Floor, R&C Building,
Sir JJ Road, Byculla,
Mumbai - 400008

(Kind Attn: Shri Dilip Kumar Pattnaik, CGM, Gas & Renewables)

Subject: Grant of Authorisation to Hindustan Petroleum Corporation Limited for development of City Gas Distribution Network in the Geographical Area of Mainpuri and Kannauj Districts (GA 10.43).

Sir,

With reference to submission of Performance Bank Guarantee for Rs. 33 crore vide your letter dated 28.03.2019, as per the requirement under Regulation 10 (1) of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, please find enclosed authorization in Schedule D for the GA of **Mainpuri and Kannauj Districts** in duplicate.

- The tariff applicability is as per the Judgement of Hon'ble Supreme Court of India in the SLP No. 22273 of 2012.
- You are requested to put your stamp & signature on each page of the document and return one copy, within 7 days of receipt of this communication, to the PNGRB for records.
- The enclosed authorization issues with the approval of the Board.

Yours faithfully,

Encl: As above

तेजपाल सिंह चण्डावत
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
 प्रबंधक - गैस विभाग
 Manager - Gas Division



प्रति हस्ताक्षरित
 (एस.एन.सी. मीरा)
 प्रभागीय निदेशक
 सामाजिक वानिकी प्रभाग
 मैनपुरी

Arvind Kumar
(Additional Adviser)

ARVIND KUMAR
 Additional Adviser
 पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
 Petroleum & Natural Gas Regulatory Board
 प्रथम तल, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर
 1st Floor, World Trade Centre
 बाबर रोड, नयी दिल्ली-110001
 Babar Road, New Delhi-110001

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
 मुख्य प्रबंधक-परियोजना
 Chief Manager-Projects

Schedule D

Grant of authorisation for laying, building, operating or expanding CGD network

To
Hindustan Petroleum Corporation Limited,
Natural Gas Department, 4th Floor, R&C Building,
Sir JJ Road, Byculia,
Mumbai - 400008

(Kind Attn: Shri Dilip Kumar Pattnaik, CGM, Gas & Renewables)

Subject: Grant of Authorization for laying, building, operating or expanding CGD network in the authorized area of Mainpuri and Kannauj Districts in the State of Uttar Pradesh under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008

Sir,

With reference to your application-cum-bid for grant of authorisation for laying, building, operating or expanding the City Gas Distribution (CGD) network in **GA-10.43 (Mainpuri and Kannauj Districts)** in the State of **Uttar Pradesh**, it has been decided to grant you the authorisation subject to the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008 and the following terms and conditions, namely:-

1. The Authorised Area for laying, building, operating or expanding the proposed CGD Network shall cover an area of **4853 square kilometer** and as depicted in the enclosed drawing or map,
2. The activities of laying, building, operating or expansion of the CGD Network shall commence immediately after the issuance of this authorisation.
3. The activities permitted above shall have to be completed as per the work programme mentioned below, namely: -

TJ 11
तेजपाल सिंह चुंडावत
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
प्रबंधक - गैस विभाग
Manager - Gas Division



(Signature)
अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager - Projects

अविनाश कुमार
ARVIND KUMAR
अतिरिक्त सलाहकार
Additional Adviser
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड
Petroleum & Natural Gas Regulatory Board
प्रथम सदन, एन.टी. रोड, नई दिल्ली
1st Floor, World Trade Centre
N.T. Road, New Delhi - 110002
2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 388

Serial Number	Description of work	Numbers
1	Number of CNG Stations (Online and Daughter Booster stations) to be installed within 8 contract years from the date of authorisation	45
2	Number of domestic Piped Natural Gas connections to be achieved within 8 contract years from the date of authorisation	60000
3	Inch-km of steel pipeline to be laid within 8 contract years from the date of authorisation	972

The entity shall be required to achieve the year-wise work programme within 8 contract years as per details given below:

PNG Connections (cumulative)		CNG Stations (cumulative)		Inch-km of steel pipeline (cumulative)	
By the end of contract year	% of work program	By the end of contract year	% of work program	By the end of contract year	% of work program
1 st	Nil	1 st	Nil	1 st	5
2 nd	10	2 nd	15	2 nd	20
3 rd	20	3 rd	30	3 rd	40
4 th	30	4 th	45	4 th	60
5 th	40	5 th	60	5 th	70
6 th	60	6 th	75	6 th	80
7 th	80	7 th	90	7 th	90
8 th	100	8 th	100	8 th	100

Note - In case derived numbers are in fraction, the same shall be rounded off to the nearest whole number and 0.5 shall be rounded off to next higher whole number.

4. Any failure on the part of the entity in complying with the milestones prescribed in the work programme shall lead to consequences as specified under regulation 16.

5. The entity shall design and install an optimal size of the infrastructure in terms of pipelines of various types including steel belting of the authorised area, online compressors of adequate capacity for compressing of natural gas into CNG, allied equipment and facilities in the CGD network depending upon the potential demand for natural gas. The infrastructure in the CGD network should be adequate to maintain uninterrupted flow of natural gas in the pipelines and be also able to maintain supplies at adequate pressure to online CNG stations.

तेजपाल सिंह चुंडवत
TEJPAL SINGH CHUNDWAT
प्रमाणित - निदेशक
निक डायरेक्टर

प्रति प्रस्तावित
(एस० एन० मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी



अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रवक्ता-परियोजना

6. The entity shall maintain an uninterrupted supply of natural gas to all categories of customers in the CGD network. In the event of any disruption in the supply of natural gas in the CGD Network, first priority shall be accorded to restoration of supplies to domestic PNG customers. In case of disruption of supply to domestic PNG customers for more than twelve hours, the entity shall compensate the domestic customer on the following manner, namely: -

- (a) the normative volume of natural gas consumption for the first domestic PNG connection for cooking requirements based on last three months weighted average consumption per day to be applied for each day's disruption and multiplied by ten;
- (b) normative value of natural gas consumption shall be based on last three months' weighted average billing price of natural gas for supplies to the first domestic PNG connection for cooking requirements; and
- (c) the value of compensation shall be equal to normative volume of natural gas consumption as per clause (a) above multiplied by normative value as per clause (b) and shall be adjusted by allowing a credit to the domestic PNG Customer in the next billing cycle or in the next pre-paid smart card in case of smart card metering.

In case the disruption of supplies is attributed to any fault of the domestic PNG customer, no compensation shall be payable by the entity.

7. The entity is allowed an exclusivity period under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, in respect of the following, namely:

- (a) 300 months from the date of issue of this communication for laying, building and expansion of the CGD network; and
- (b) 96 months from the date of issue of this communication in terms of an exemption from the purview of common carrier or contract carrier for the CGD network:

Provided that the entity meets the obligations in line with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008:

तेजपाल सिंह चण्डावत
TEJPAL SINGH CHANDAWAT
प्रबंधक - गैर निधान
Managing Gas Division



अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

प्रति केस्ताक्षरित
(एस. एन. मीरा)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

Provided further that the period of exclusivity allowed under sub-clause (a) or sub-clause (b) may be terminated before the expiry of the period mentioned above in line with the provisions under Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008.

8. The authorised entity shall be required to take prior approval from the Board for creation of any lien, charge or hypothecation of the CGD network to secure finances for the project and furnish details of utilisation of funds. And, in case of raising funds from any financial institution or bank, the entity will be required to only inform the Board of the sanction of the funds within a period of seven days.

9. The entity shall submit a detailed and clear financial closure report to the Board within a period of two hundred and seventy days from the date of authorisation issued by the Board under regulation 10.

10. The entity shall publish on its website the transportation rate for CGD and transportation rate for CNG in the authorised area as per the following table namely: -

Serial Number	Description	Rate
1	Transportation rate for CGD - in rupees per million British Thermal Unit (Rs./MMBTU) for the first contract year	30
2	Transportation rate for CNG - in rupees per kilogram (Rs. /kg) for the first contract year	2
Note - Annual escalation shall be considered from the second contract year and onwards based on the "Wholesale Price Index (WPI) Data (2011-12 = 100)" for "All Group / Commodity", as normally available on the website of the Office of the Economic Adviser, Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) on the link " http://eaindustry.nic.in/home.asp ."		

11. The entity shall publish the applicable retail selling price of PNG for all categories of customers and also for the purpose of invoicing in Rs. / MMBTU.

12. The entity shall publish and display the retail selling price of natural gas for the purpose of invoicing to CNG customers in Rs. / Kg at all natural gas dispensing stations.

तेजपाल सिंह चंडावत
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
प्रबंधक - गैस विभाग



अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित
(एच.एस.सी. मीट)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
मैनपुरी

13. The furnishing of performance bond of Rs. 330 Million is a guarantee for timely commissioning of the project as per the prescribed work programme in the bid and for meeting the service obligations during the operating phase of the project.

14. The entity shall comply with the applicable provisions under the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Authorising Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Exclusivity for City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations, 2008, relevant regulations for technical standards and specifications, including safety standards, any other regulations as may be applicable and the provisions of the Act.

15. In case the authorisation of the entity is terminated, the Board may assign the rights and obligations of the entity to any agency or another entity on such terms and conditions, as it may deem fit. Further, the entity may be required, as per the directions of the Board, to continue the operations of the CGD network at the same level till another agency or entity appointed by the Board takes over the full control of the CGD network.

16. The entity shall comply with any other term or condition which may be notified by the Board in public interest from time to time.

You are requested to confirm your acceptance by filling-in the acceptance of the grant of authorisation provided below and return the same in original.

Yours faithfully,

Dated:

Name and Designation of Officer
On behalf of the PNGRB

Official Seal

तेजपाल सिंह चुंडावत
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
प्रबंधक - गैस विभाग
Manager - Gas Division



प्रति हस्ताक्षरित
(एस० एन० सी०)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वित्तिकी प्रभाग
मैनपुरी

अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक-परियोजना
Chief Manager-Projects

**GEOGRAPHICAL AREA
MAINPURI AND KANNAUJ DISTRICTS**

SCALE



Total Geographical Area (Sq Km)	4,853
No. of Charge Area	10
Total Household	5,94,618
Total Population	35,25,145
CHARGE AREA ID	NAME
CA-01	Mainpuri
CA-02	Kanauj
CA-03	Bhogaon
CA-04	Chhibranau
CA-05	Tirwa
CA-06	Kannauj

LEGEND

- VECTOR**
- DISTRICT HEADQUARTER
 - TOWN
 - VILLAGE WITH POPULATION
 - RAILWAY STATION
 - NATIONAL HIGHWAY
 - STATE HIGHWAY
 - RAILWAY
 - STATE BOUNDARY
 - DISTRICT BOUNDARY
 - CHARGE AREA BOUNDARY
 - WATER BODY
 - INDUSTRIAL AREA
- LANDMARK**
- RAILWAY STATION



PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD
1st Floor, World Trade Centre, B-10, Connaught Place, New Delhi-110028

Map No.	2024/2025
Date	Nov-24
Map Title	Geographical Area Mainpuri and Kanauj Districts



नेत्रपाल सिंह चण्डावत
TEJPAL SINGH CHUNDAWAT
प्रबंधक - गैस विभाग
Manager - Gas Division



अविनाश कुमार
AVINASH KUMAR
मुख्य प्रबंधक - परियोजना
Chief Manager-Projects

प्रति हस्ताक्षरित
(एस० एन० मौर्य)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग
A मैनपुरी